न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/2019–20

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदक सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, पिता स्व0 किशोरी लाल, साकिन– जरमुने, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **141 R27/2019-20** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	43	1813	04 डी0
जरमुने	108	43	2187	24 डी0
जरमुने	108	43	2189	18 डी0
जरमुने	108	140	1814	03 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **141 R27/2019-20** में दिनांक 05.11.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन पंजी II बिक्रेता के नाम से प्लॉट दर्ज नहीं रहने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से ऑनलाईन पंजी II की प्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमें बिक्रेता के नाम से पंजी II में प्लॉट संख्या दर्ज करा लिया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **141 R27/2019-20** में दिनांक 05.11.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

14/10/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

14/10/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)